

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**

(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 14/2023

1. अभिषेक अग्रवाल पुत्र औमप्रकाश अग्रवाल जाति अग्रवाल साकिन संगरिया।

वादी

बनाम

1. अंगद कुमार पुत्र रिछपाल जाति जाट सा.दीनगढ़ (फौत)
- 1/1 राजेन्द्र पुत्र अंगद कुमार जाति जाट सा.दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामरिख जाति जाट सा. दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. दुर्गाराम पुत्र सरदारा सिंह (फौत)
- 3/1 विजेन्द्र पुत्र दुर्गाराम जाति जाट सा.दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. देववृत्त पुत्र सरदारा (फौत)
- 4/1 रणजीत पुत्र देववृत्त जाति जाट सा.दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. प्रवीण कुमार पुत्र रामकुमार जाति साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. पवन पुत्र इन्द्राज जाति जाट सा.दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. महावीर प्रसाद पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट सा. दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. रामकुमार पुत्र इन्द्राज (फौत)
- 8/1 मनोज पुत्र राम कुमार जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. वेदप्रकाश पुत्र लिछमण (फौत)
- 9/1 विपिन पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. सुखदेव पुत्र रिछपाल जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. सीताराम पुत्र इन्द्राजराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. सोहन सिंह पुत्र बन्तसिंह जाति कुम्हार सा.हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. तहसीलदार राजस्व संगरिया
14. मिनाक्षी पुत्री रामकुमार जाति जाट साकिन दीनगढ़।
15. शारदा देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन दीनगढ़।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 05.03.2024

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई  
रुबरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह कलसी,  
श्री नरेश मण्डा मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से  
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-



चक 4 एएमपी के खाता संख्या 17/17 में कुल रकबा 1.771 है. में. मौके पर कब्जा काश्त की भूमि :-

1. महावीर प्रसाद पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन दीनगढ़ प.न. 179/145 मु.न. 58 किला नं. 17/0.175 है. कुल रकबा 0.175 है. नहरी
2. पवन कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन दीनगढ़ प.न. 179/145 मु.न. 58 किला नं. 17/0.078 है. 25/1/0.150 है. 25/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता कुल रकबा 0.228 है. नहरी 0.025 है. गै.मु.रास्ता
3. सीताराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट सा.दीनगढ़ प.न. 179/145 मु.न. 58 किला नं. 24/0.253 है. 25/1/0.065 है. 25/2/0.013 है. गै.मु. रास्ता कुल रकबा 0.318 है. नहरी 0.013 है. गै. मु.रास्ता
4. मनोज पुत्र राम कुमार जाति जाट सा.दीनगढ़ प.न. 179/145 मु.न. 62 किला नं. 5/1/0.215 है. 5/2/0.038 है. गै.मु. रास्ता कुल रकबा 0.215 है. नहरी 0.038 है. गै.मु.रास्ता
5. अभिषेक पुत्र औम प्रकाश जाति अग्रवाल सा.संगरिया प.न. 180/145 मु.न. 59 किला नं. 21/0.253 है. 22/0.253 है. 23/0.091 है. कुल रकबा 0.579 है.
6. प्रवीण कुमार पुत्र राम कुमार जाति जाट सा. दीनगढ़ 180/145 मु.न. 59 किला नं. 23/0.162 है. कुल रकबा 0.162 है.

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-पीडी/भू.अ./023/4287 दिनांक 08.12.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया